[2018] 5 एस.सी.आर. 698

इसके माध्यम से संयुक्त हवाई यात्रा सेवाएँ

मालिक ए.डी.एम. अनवर खान

बनाम

सचिव (मंत्रालय) के माध्यम से भारत संघ

विदेशी मामले)

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 631/2016 आदि)

मई 07, 2018

[जे। चेलमेश्वर और संजय किशन कौल, जे.जे.]

हज: हज यात्रा - पंजीकरण की मंजूरी - अयोग्यता - निजी टूर ऑपरेटर-पीटीओ जो हज और उमरा के लिए यात्रा व्यवसाय संचालित करते हैं - हज 2016 के लिए पंजीकरण और कोटा के आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन - गैर-अनुपालन के आधार पर अस्वीकृति पीटीओ के लिए नीति के कुछ खंडों के साथ - इसके बाद, हज 2013-2017 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों के लिए नीति - याचिकाकर्ता सभी हज यात्रा के लिए वर्ष 2015 के लिए पीटीओ के रूप में योग्य होने के पात्र थे - चूंकि योग्य पीटीओ 90 से अधिक हो गए, इसलिए लॉटरी निकाली गई आयोजित किया गया लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोटा नहीं मिला - इसके बाद, चूंकि याचिकाकर्ता ड्रॉ में सफल नहीं हुए थे, वे नीति के खंड 4 (बी) के तहत पात्र थे, यदि वे योग्य रहते हैं तो कुर्राह के बिना आगामी वर्ष में 150 सीटें आवंटित की जाएंगी। पीटीओ के रूप में - इसके बाद, नीति में कुछ बदलावों के मद्देनजर, 2016 के लिए 50 सीटें आवंटित की जाएंगी - 29.4.2016 को, विदेश मंत्रालय द्वारा हज 2016 के लिए पीटीओ के पंजीकरण के मानदंडों का प्रकाशन - याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्ति जिनके पास था वर्ष 2015 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले लेकिन ड्रॉ में सफल नहीं होने पर छूट का लाभ मिलेगा - हालांकि, खंडों का अनुपालन न करने के कारण निजी टूर ऑपरेटरों को कोटा आवंटित न करने की सूचना देने वाले अस्वीकृति पत्र - आयोजित: प्रतिवादी की दलील कि क्या कारण हैं अस्वीकृति पत्र में गलत तरीके से सूचित किया गया था, यह टिकाऊ नहीं है - इस प्रकार, अस्वीकृति के पत्रों को रद्द कर दिया जाता है - समय बीतने के साथ कुछ राहतें

निरर्थक हो गई हैं - 2016 के साथ-साथ 2017 के लिए हज यात्राएं आयोजित करने की समय अवधि समाप्त हो गई है - तीन रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने अर्जित नुकसान के लिए वैकल्पिक याचिका के रूप में मुआवजे की मांग की - सभी मामलों में समान सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए - 2016 के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता को खारिज करने में उत्तरदाताओं की नासमझी को देखते हुए, जिस आधार पर उन्हें छूट दी गई थी, याचिकाकर्ताओं ने कहा सार्वजनिक कानून में नुकसान के लिए - इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को प्रति याचिकाकर्ता 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।

न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए

माना: 1.1 समय बीतने के साथ कुछ राहतें निष्फल हो गई हैं। 2016 के साथ-साथ 2017 के लिए हज यात्रा आयोजित करने की समय अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रकार, 2017 के लिए मांगी गई वैकल्पिक राहत भी निरर्थक हो गई है। तीन रिट याचिकाओं में, 2016 के हज के लिए पंजीकरण न दिए जाने के कारण हुए नुकसान के लिए याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के लिए एक विशिष्ट वैकल्पिक याचिका है। जबकि समान स्थिति को देखते हुए, अन्य रिट याचिकाओं में ऐसी कोई विशिष्ट याचिका नहीं है। इन सभी मामलों में एक ही सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। वर्ष 2016 के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता को उसी आधार पर खारिज करने में उत्तरदाताओं की नासमझी की कार्रवाई, जिस आधार पर उन्हें छूट दी गई थी, यह जरूरी है कि याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक कानून में नुकसान का हकदार होना चाहिए ताकि उन्हें कम से कम कुछ हद तक मुआवजा दिया जा सके। उत्तरदाताओं की अवैध कार्रवाई के कारण अपना व्यवसाय जारी रखने में सक्षम नहीं होने के कारण। [पैरा 13]

1.2 तत्काल मामले के तथ्यों में, प्राधिकारी की कार्रवाई की मनमानी और अवैधता स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। याचिकाकर्ताओं को उन कारणों से पारित किए गए स्पष्ट रूप से गलत आदेश पर कोटा सुरक्षित करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जो उन पर लागू नहीं होते थे और उन शर्तों के लिए, जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई थी। इससे बड़ी मनमानी और अवैधता क्या हो सकती है? जहां इस तरह की पेटेंट मनमानी और अवैधता है, वहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, तत्काल मामले के तथ्य मुआवजे के अनुदान के लिए एक उपयुक्त मामले के रूप में मापदंडों की संतुष्टि को जन्म दे रहे हैं। [पैरा 16]

1.3 उन तीर्थयात्रियों की संख्या सहित तथ्यों के एक पहलू पर, जिनके लिए याचिकाकर्ता हज यात्रा की व्यवस्था करने के हकदार होंगे, प्रति याचिकाकर्ता 5 लाख रुपये की राशि उनके द्वारा हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा होगी और उप-सेवा होगी। न्याय का अंत. वास्तविक नुकसान के आधार पर कोई मात्रा निर्धारण नहीं है, लेकिन फिर भी सार्वजनिक कानून में पुरस्कार क्षति की प्रकृति में है। [पैरा 17]

1.4 प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए राशि उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रेषित की जानी चाहिए, अन्यथा राशि पर याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के अलावा 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। [पैरा 18]

भारत संघ बनाम रफीक शेख भीकन (2013) 4 एससीसी 699: [2013] 5 एससीआर 428; अल इस्माइल हज टूर बनाम भारत संघ (2016) 15 एससीसी 246; मोहिंदर सिंह गिल और अन्य. मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य। (1978) 1 एससीसी 405 : [1978] 2 एससीआर 272 ; नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993) 2 एससीसी 746: [1993] 2 एससीआर 581; कॉमन कॉज़, एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ (1999) 6 एससीसी 667: [1999] 3 एससीआर 1279; एन. नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम स्टेट ऑफ ए.पी. (1994) 6 एससीसी 205: [1994] 3 सप्ल। एससीआर 144 - संदर्भित।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2013] 5 एससीआर 428	**पैरा 2**	**को संदर्भित करता है**
(2016) 15 एससीसी 246	**पैरा 2**	**में संदर्भित**
[1978] 2 एससीआर 272	**पैरा 11**	**को संदर्भित करता है**
[1993] 2 एससीआर 581	**पैरा 14**	**को संदर्भित करता है**
[1999] 3 एससीआर 1279	**पैरा 15**	**को संदर्भित करता है**
[1994] 3 पूरक। एससीआर 144	**पैरा 15**	**को संदर्भित करता है**

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 631, 2016।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

साथ

2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 636, 634, 934, 941 और 938

2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 11 और 94।

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, बी. आदिनारायण राव, ए.के. पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. बालाजी, रोमी चाको, संतोष कृष्णन, सईद मरज़ूक बफाकी, सुलेमान मोहम्मद। खान, सुश्री तैयबा खान, मोहित प्रसाद, चन्द्र भूषण प्रसाद, इनामुल हक, मो. ऐनुल अंसारी, कृपा शंकर प्रसाद, सुनील खटवानी, रजत भारद्वाज, मनोज कुमार गोयल, प्रदीप जाटव, सुनील कुमार वर्मा, हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलकोट, सुश्री एश्ली हर्षद, सुश्री उषा नंदिनी। वी, भुवन मिश्रा, सचिन शर्मा, अमित शर्मा, विनय क्र. यादव, हेमन्त आर्य, सुमित तेतरवाल, सुश्री स्निधा मेहरा, अमित मिश्रा, सुमित गोयल, अरुण कुमार, श्रीमती अनिल कटियार, अमित प्रताप सिंह, राज बहादुर यादव, बी. कृष्णा प्रसाद, मुकेश कुमार मरोरिया, श्रीकांत एन. टेरडाल, गौरव शर्मा, श्रीमती प्रिया पुरी, एस गौतमन, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल, जे.

1. रिट याचिकाओं का एक समूह निजी टूर ऑपरेटरों (संक्षिप्त रूप से 'पीटीओ') का मुद्दा उठाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ हज और उमरा के लिए यात्रा व्यवसाय का संचालन करते हैं, उन्हें हज यात्रा के लिए वर्ष 2016 के लिए पंजीकरण देने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। प्रार्थना प्रतिवादी द्वारा जारी समान संचार दिनांक 27.7.2016 को रद्द करने के लिए है, जिसमें हज 2016 के लिए पंजीकरण और कोटा के आवंटन के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने पीटीओ के लिए नीति के कुछ खंडों का अनुपालन नहीं किया है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित.

2. हज नीति और इन पीटीओ के पंजीकरण से संबंधित मुद्दे के परिणामस्वरूप इस न्यायालय द्वारा ***भारत संघ बनाम रफीक शेख भीकन1*** और ***अल इस्माइल हज टूर बनाम भारत संघ2*** में दो न्यायिक घोषणाएं की गईं। सरकार की ओर से प्रस्तुत नीति को इस न्यायालय द्वारा थोड़े से संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया था और इसे ***भारत संघ बनाम रफीक शेख भीकन3*** मामले में दिए गए आदेश के परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न किया गया था, जिसे 'निजी टूर ऑपरेटरों के लिए नीति' कहा गया था। हज 2013 - 2017'।

पॉलिसी को पांच साल की अवधि के लिए वैध रहना था और किसी भी अदालत या प्राधिकरण में इस पर सवाल नहीं उठाया जाना था। सभी याचिकाकर्ता हज यात्रा के लिए वर्ष 2015 के लिए पीटीओ के रूप में अर्हता प्राप्त करने के पात्र थे, लेकिन दिनांक 7.8.2015 को ड्रा की प्रक्रिया में, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और इस प्रकार उन्हें कोटा नहीं मिला। पॉलिसी का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

"परिशिष्ट ।

विदेश मंत्रालय

(खाड़ी एवं हज प्रभाग)

***

निजी टूर ऑपरेटरों का पंजीकरण - हज 2013

सऊदी अरब सरकार ने अधिसूचित किया है कि भारत सरकार के साथ पंजीकृत और हज यात्रा की तैयारी में शामिल निजी टूर ऑपरेटर (पीटीओ) निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन हज समूह वीजा देने के लिए पात्र होंगे। सऊदी अधिकारी.

2. हज 2013 के लिए पंजीकरण के लिए पात्र पीटीओ से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड अनुबंध ए और बी में हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक सी) में सीधे विदेश मंत्रालय या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

3. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदी अरब सरकार ने निर्धारित किया है कि प्रभावी हज 2013 के लिए एक पीटीओ को कम से कम 150 तीर्थयात्रियों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तदनुसार, पीटीओ नीति को फिर से तैयार किया गया है। हज 2013 के लिए हज सीटों के कोटे के पंजीकरण और आवंटन के लिए इच्छुक पीटीओ निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत आवेदन कर सकते हैं:

श्रेणी ।	पीटीओ विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं और कम से कम हाजियों को सुविधा प्रदान करते हैं 7 हज ऑपरेशन या अधिक।

श्रेणी II	पीटीओ विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं और कम से कम हाजियों को सुविधा प्रदान करते हैं 1 से 6 हज संचालन और पीटीओ के लिए जिन्होंने सुविधा प्रदान की है किसी भी पांच वर्ष के लिए एक वर्ष में कम से कम 50 उमरा तीर्थयात्री।

4. सीटों के कुल कोटे का 70% श्रेणी 3(I) के तहत पात्र पीटीओ को और 30% श्रेणी 3(II) के तहत पात्र पीटीओ को आवंटित किया जाएगा। योग्य पीटीओ के बीच सीटों का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा:

(ए) हज 2013 पीटीओ सीटों (31,500) का 70% श्रेणी 3(आई) के तहत पात्र पीटीओ को 150 सीटों प्रति पीटीओ की दर से आवंटित किया जाएगा। यदि पीटीओ की संख्या 210 से अधिक है, तो सीटों का आवंटन ड्रा के आधार पर किया जाएगा। यदि योग्य पीटीओ की संख्या 210 से कम है, तो प्रत्येक पीटीओ को 150 सीटें आवंटित की जाएंगी और अतिरिक्त सीटें, यदि कोई हों, उनके बीच समान रूप से वितरित की जाएंगी। श्रेणी I पीटीओ विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं और कम से कम 7 या अधिक हज संचालन के लिए हाजियों को सुविधा प्रदान करते हैं। श्रेणी II पीटीओ विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं और कम से कम 1 से 6 हज संचालन के लिए हाजियों को सुविधा प्रदान करते हैं और पीटीओ जिन्होंने किसी भी पांच वर्षों के लिए एक वर्ष में कम से कम 50 उमरा तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान की है।

(बी) हज 2013 पीटीओ सीटों (9000) का 30% प्रति योग्य पीटीओ 150 सीटों की दर से श्रेणी 3(II) के तहत पात्र पीटीओ को आवंटित किया जाएगा। यदि योग्य पीटीओ की संख्या 90 से अधिक है, तो सीटों का आवंटन ड्रा द्वारा किया जाएगा। यदि पीटीओ की संख्या 90 से कम है, तो प्रत्येक पीटीओ को 150 सीटें आवंटित की जाएंगी। शेष सीटें, यदि कोई हों, श्रेणी एक में स्थानांतरित कर दी जाएंगी और उनके बीच समान रूप से वितरित की जाएंगी। एक योग्य पीटीओ जो किसी भी वर्ष ड्रा के तहत चयनित होने में विफल रहता है, उसे योग्य पीटीओ बने रहने पर आगामी वर्ष में बिना कुर्राह के 150 सीटें आवंटित की जाएंगी।

5. यह नीति पांच वर्षों 2013-2017 तक वैध रहने की उम्मीद है जब तक कि कोई ठोस विकास न हो जो इसे प्रभावित करता हो। प्रत्येक श्रेणी में योग्य पीटीओ को

सीटों का आवंटन वार्षिक भारत-सऊदी अरब हज समझौते में निर्दिष्ट पीटीओ सीटों के समग्र कोटा और प्रत्येक श्रेणी में शेष योग्य पीटीओ की संख्या के आधार पर किया जाएगा। नीति में श्रेणी II से श्रेणी I तक पीटीओ के क्रॉस-श्रेणी ऊपर की ओर आंदोलन की परिकल्पना की गई है। एक योग्य पीटीओ तब तक योग्य रहेगा जब तक कि उसे भारत सरकार या सऊदी अरब सरकार द्वारा वैध कारणों से अयोग्य घोषित न कर दिया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीटीओ कम से कम 150 हाजियों को ले जाना नहीं चाहते या ऐसा करने में असमर्थ हैं, उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

6. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो विदेश मंत्रालय या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी को संबोधित होनी चाहिए।

(जोर दिया गया)

3. उपरोक्त नीति के अनुसार चूंकि योग्य पीटीओ की संख्या 90 से अधिक हो गई, इसलिए लॉटरी निकाली गई। इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता ड्रॉ में सफल नहीं हुए थे, इसलिए वे उपरोक्त नीति के खंड 4 (बी) के तहत हकदार थे, यदि वे पीटीओ के रूप में योग्य रहते हैं तो कुर्रा के बिना आगामी वर्ष में 150 सीटें आवंटित की जाएंगी। हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि प्रस्तुत प्रस्तुतियों के अनुसार, सऊदी सरकार की नीति में कुछ बदलावों के मद्देनजर, 2016 के लिए आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या 50 होगी।

4. यह 7.8.2015 की प्रेस विज्ञप्ति से भी स्पष्ट है, जिसमें उन पीटीओ की सूची दी गई है, जिन्होंने योग्यता प्राप्त की है, लेकिन उन्हें कोटा नहीं मिला है, याचिकाकर्ताओं का नाम उक्त सूची में था।

5. 29.4.2016 को, विदेश मंत्रालय ने हज 2016 के लिए पीटीओ के पंजीकरण के मानदंड प्रकाशित किए। इसका पैरा 3 इस प्रकार है:

> "3. अनुलग्नक ए और बी में निर्धारित सभी नियम और शर्तें उन पीटीओ पर भी लागू होंगी जो किसी भी 5 वर्षों के लिए एक वर्ष में न्यूनतम 50 उमराह तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने के आधार पर श्रेणी- II के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं, लेकिन नियमों और शर्तों के अपवाद के साथ अनुबंध ए के

खंड (vii), (x), (xi) और (xii) के तहत निहित है। इसके अलावा, इन पीटीओ को टिकटों की खरीद और किराए पर लेने के लिए बैंकिंग या किसी अन्य अधिकृत चैनल के माध्यम से किए गए भुगतान का प्रमाण भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। अपने दावे के समर्थन में उमरा तीर्थयात्रियों के संबंध में मक्का और मदीना में आवास की सुविधा प्रदान की गई।

6. इस प्रकार, उपरोक्त में यह प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्ति जो वर्ष 2015 के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके थे, लेकिन ड्रा में सफल नहीं हुए थे, उन्हें खंड (vii), (x) में निहित नियमों और शर्तों से छूट का लाभ मिलेगा। अनुबंध ए के (xi) और (xii)।

7. रिकॉर्ड को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए, हम यहां अनुलग्नक ए के उक्त खंडों की गणना नीचे कर रहे हैं:

"अनुलग्नक-ए"

हज-2016 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के पंजीकरण के लिए नियम और शर्तें

प्रत्येक पीटीओ को यह स्थापित करना चाहिए कि वह एक वास्तविक और स्थापित टूर ऑपरेटर है जिसके पास पर्यटकों/तीर्थयात्रियों को विदेश भेजने का अनुभव है, जिसके लिए उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

क्र.सं. संख्या।	**नियम और शर्तें**
vii	बैंकिंग के माध्यम से किए गए भुगतान का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट) या टिकटों की खरीद के लिए अन्य अधिकृत चैनल और वित्तीय सहायता के लिए मक्का/मदीना में आवास किराये पर लेना वर्ष 2013-14 (हज2013) या 2014-15 (हज 2014)। भुगतान टिकटों की खरीद, आवास किराये पर लेने की दिशा में

	मक्का/मदीना में तीर्थयात्री, किसी अन्य माध्यम से, ऐसा नहीं करेंगे स्वीकृत होना।
x	समर्थन में पीटीओ को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां उनके उद्देश्य-वार और पीटीओ-वार।
xi	तीर्थयात्रियों और "तसरीह" के लिए भवनों को किराये पर लेने का अनुबंध अंग्रेजी अनुवादों के साथ पीटीओ श्रेणीवार। (कृपया किराये की रसीदें और विधिवत हस्ताक्षरित लीज डीड की एक प्रति संलग्न करें हज के लिए सऊदी मालिकों के साथ।
xii	मुनाज़िम कार्ड और प्रासंगिक हज वीज़ा पृष्ठों की प्रतिलिपि मालिक/मालिक का पासपोर्ट।

8. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को 26.7.2016 के समान अस्वीकृति पत्रों का सामना करना पड़ा (ई-मेल दिनांक 27.7.2016 के माध्यम से भेजा गया), जिसकी सामग्री इस प्रकार है:

"विषय: हज-2016 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) को कोटा आवंटित न किए जाने के संबंध में सूचना।

श्रीमान,

इसमें हज 2016 के लिए पंजीकरण के संबंध में आपके आवेदन का संदर्भ है।

2. हज-2016 के लिए प्रस्तुत आपके आवेदन की जांच में आपकी फर्म को निम्नलिखित आधारों पर हज 2016 के लिए पंजीकरण एवं कोटा आवंटन के लिए पात्र नहीं पाया गया है:

पीटीओ ने पीटीओ के अनुबंध ए के खंड vii, x, xi और xii का अनुपालन नहीं किया है।

हज वर्ष में से किसी एक के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नीति।

> 3. हालांकि, हज 2016 के लिए पंजीकरण और कोटा आवंटन के लिए आपकी अयोग्यता, हज 2017 के लिए आवश्यक शर्तों के आधार पर आपको हज 2017 के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने से वंचित करने के आपके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

9. उपरोक्त पत्र के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि अयोग्यता के लिए उद्धृत कारण उन खंडों का अनुपालन न करना था जिनमें याचिकाकर्ताओं को छूट दी गई थी।

10. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उपरोक्त स्थिति पर विवाद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि अस्वीकृति पत्र में कारणों को गलत तरीके से सूचित किया गया था, और वास्तव में, अस्वीकृति के लिए कुछ अन्य कारण थे। उल्लिखित और संप्रेषित कारणों को देखते हुए उपरोक्त याचिका को शायद ही स्वीकार किया जा सकता है।

11. इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम अन्य में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य को यह प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। हम ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय की कई न्यायिक घोषणाओं में यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है, लेकिन इसे वापस करना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त निर्णय के पैरा 8 में, वी.आर. कृष्णा अय्यर, जे, अपनी अनूठी शैली में इस प्रकार बताते हैं:

> “8. दूसरा समान रूप से प्रासंगिक मामला यह है कि जब कोई वैधानिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर कोई आदेश देता है, तो उसकी वैधता को उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और इसे हलफनामे या अन्यथा के रूप में नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, शुरुआत में खराब आदेश, चुनौती के कारण अदालत में आने तक, बाद में लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है। हम यहां गोर्धनदास भानजी में बोस, जे. की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं:

"वैधानिक प्राधिकार के प्रयोग में सार्वजनिक रूप से दिए गए सार्वजनिक आदेशों को आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के आलोक में नहीं समझा जा सकता है कि उसका क्या मतलब था, या उसके दिमाग में क्या था, या वह क्या करना चाहता था। सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और उन लोगों के कार्यकलापों और आचरण को प्रभावित करने के लिए होते हैं जिन्हें वे संबोधित किए जाते हैं और उन्हें आदेश में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से समझा जाना चाहिए।

ऑर्डर पुरानी शराब की तरह नहीं होते, जैसे-जैसे वे पुराने होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं।"

12. इस प्रकार, उपरोक्त कानूनी स्थिति, प्रतिवादी के रुख को अस्थिर बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप अस्वीकृति के विवादित पत्रों को रद्द कर दिया जाता है।

13. हालाँकि, सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या राहत दी जा सकती है। समय बीतने के साथ कुछ राहतें निष्फल हो गई हैं। 2016 के साथ-साथ 2017 के लिए हज यात्रा आयोजित करने की समय अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रकार, 2017 के लिए मांगी गई वैकल्पिक राहत भी निरर्थक हो गई है। तीन रिट याचिकाओं में, यानी, WP (C) Nos.631/2016; 634/2016 और 636/2016, 2016 के हज के लिए पंजीकरण न दिए जाने के कारण हुए नुकसान के लिए याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के लिए एक विशिष्ट वैकल्पिक याचिका है। जबकि अन्य रिट याचिकाओं में ऐसी कोई विशिष्ट याचिका नहीं है। समान स्थिति में, हमारा विचार है कि इन सभी मामलों में एक ही सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। वर्ष 2016 के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता को उसी आधार पर खारिज करने में उत्तरदाताओं की नासमझी की कार्रवाई, जिस आधार पर उन्हें छूट दी गई थी, यह जरूरी है कि याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक कानून में नुकसान का हकदार होना चाहिए ताकि उन्हें कम से कम कुछ हद तक मुआवजा दिया जा सके। उत्तरदाताओं की अवैध कार्रवाई के कारण अपना व्यवसाय जारी रखने में सक्षम नहीं होने के कारण।

14. हालाँकि, सार्वजनिक कानून में क्षति के सिद्धांतों को कुछ परीक्षणों को पूरा करना होगा। नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य5 में, यह देखा गया कि सार्वजनिक कानून

की कार्यवाही निजी कानून की कार्यवाही की तुलना में एक अलग उद्देश्य की पूर्ति करती है। उस संदर्भ में, इसे इस प्रकार देखा गया:

> "सार्वजनिक कानून का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक शक्ति को सभ्य बनाना है बल्कि नागरिकों को यह आश्वस्त करना भी है कि वे एक कानूनी प्रणाली के तहत रहते हैं जिसका उद्देश्य उनके हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। इसलिए, जब अदालत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या संरक्षण की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के तहत कार्यवाही में 'मुआवजा' देकर राहत देती है, तो वह सार्वजनिक कानून के तहत गलत काम करने वाले को दंडित करने और उसके लिए दायित्व तय करने के माध्यम से ऐसा करती है। राज्य के प्रति जनता की गलती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अपने सार्वजनिक कर्तव्य में विफल रही है। ऐसे मामलों में मुआवज़े का भुगतान समझ में नहीं आता है, जैसा कि आमतौर पर निजी कानून के तहत क्षति के लिए एक नागरिक कार्रवाई में समझा जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में सार्वजनिक कानून के तहत 'मौद्रिक संशोधन' करने के आदेश द्वारा राहत प्रदान करना है। सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण किया गया गलत कार्य, नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा न करना। यह मुआवज़ा सार्वजनिक कानून कर्तव्य के उल्लंघन के लिए गलत कर्ता के खिलाफ दिए गए 'अनुकरणीय हर्जाना' की प्रकृति में है और यह पीड़ित पक्ष को अपकृत्य के आधार पर कार्रवाई में निजी कानून के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए उपलब्ध अधिकारों से स्वतंत्र है। सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में मुकदमा चलाया जाए या/और अपराधी पर दंडात्मक कानून के तहत मुकदमा चलाया जाए।"

इस बात पर भी जोर दिया गया कि गलत काम करने वाले को दंडित करना एक अच्छी नीति है और इसी भावना के तहत अदालतों ने रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए मुआवजा देकर राहत दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक निकाय या अधिकारी गैरकानूनी कार्य न करें। चूंकि मुद्दा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रवर्तन से संबंधित है, इसलिए उन कार्यवाहियों में क्षति का दावा किए जाने के बावजूद सार्वजनिक कानून के तहत उपाय उपलब्ध होगा।

15. उपरोक्त पहलू पर, एक बार फिर, ***कॉमन कॉज, एक पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ6*** में जोर दिया गया था। हम इस प्रस्ताव के लिए ***एन. नागेंद्र राव एंड कंपनी***

बनाम स्टेट ऑफ ए.पी.7 का भी उपयोगी संदर्भ ले सकते हैं कि राज्य के प्रतिवर्ती दायित्व का निर्धारण उसके अधिकारी की लापरवाही से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है यदि उन पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए अधिकार की कोई कमी नहीं है.

16. वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्राधिकरण की कार्रवाई की मनमानी और अवैधता स्पष्ट है। याचिकाकर्ताओं को उन कारणों से पारित किए गए स्पष्ट रूप से गलत आदेश पर कोटा सुरक्षित करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जो उन पर लागू नहीं होते थे और उन शर्तों के लिए, जिन्हें विशेष रूप से छूट दी गई थी। इससे बड़ी मनमानी और अवैधता क्या हो सकती है? जहां इस तरह की पेटेंट मनमानी और अवैधता है, वहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्य निस्संदेह मुआवजे के अनुदान के लिए उपयुक्त मामले के रूप में मापदंडों की संतुष्टि को जन्म देते हैं।

17. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, उन तीर्थयात्रियों की संख्या सहित, जिनके लिए याचिकाकर्ता हज यात्रा की व्यवस्था करने के हकदार होंगे, प्रति याचिकाकर्ता 5 लाख रुपये की राशि उन्हें हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा होगी और उप- न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करें। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि वास्तविक नुकसान के आधार पर कोई मात्रा निर्धारण नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा दिया गया पुरस्कार सार्वजनिक कानून में क्षति की प्रकृति में है।

18. प्रत्येक याचिकाकर्ता के लिए राशि इस आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर उत्तरदाताओं द्वारा प्रेषित की जाएगी, अन्यथा राशि पर याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के अलावा 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। उत्तरदाताओं के लिए यह खुला होगा कि वे ऐसे अस्थिर आदेशों को पारित करने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों से क्षति और लागत की राशि वसूल करें।

19. रिट याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों के तहत प्रति याचिका 10,000 रुपये की लागत के साथ अनुमति दी जाती है।

निधि जैन याचिकाएं मंजूर।

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।